संख्या-249/2022/952/001- 41-2022-169-Budget-2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषयः- जनपद चन्दौली में बाबा कीनाराम अघोरपीठ मठ में समेकित पर्यटन विकास एवं मल्टीपरपस हॉल व संस्कृतिक पण्डाल के कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त् निदेशक, पर्यटन मुख्यासलय के पत्र सं0-197/6-1-1/(बजट पत्रावली)/2022-23, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं उसके साथ संलग्नी आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन, मुख्या लय के पत्र संख्यार-144/3/8/0(आ0वि0अनु0)/2022, 08 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दलर्भ ग्रहण करने का कष्टम करें।

2. **वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में बाबा कीनाराम अघोरपीठ मठ में समेकित पर्यटन विकास एवं मल्टीपरपस हॉल व सांस्कृतिक पण्डाल के कार्य** हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन की धनराशि के सापेक्ष मूल्यांकित लागत के अनुसार शासनादेश संख्या-649/2021/आई/116258/41-1002(002)/1/2021, दिनांक 24.11.2021 द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैं:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
1	**जनपद चन्दौली में बाबा कीनाराम अघोरपीठ मठ में समेकित पर्यटन विकास एवं मल्टीपरपस हॉल व सांस्कृतिक पण्डाल का कार्य।**	1837.31 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	90.00 (रूपये नब्बे लाख मात्र)

3. तदनन्तर महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-8528/6-1-1(1112)/2021-22, दिनांक 29.03.2022 द्वारा, अवमुक्त धनराशि रू0 90.00 लाख के सापेक्ष रू0 85.50 का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि प्रेषित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुकत करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-218/2022/800/41-2022-165(बजट)/2019, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, परन्तु आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन मुख्यालय के पत्र संख्या-144/3-8-0(अ0वि0अनु0)/2022, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति आदेश के सापेक्ष कोषागार से वित्तीय वर्ष 2021-22 में आहरण नहीं हो सका।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्वारा शासनादेश संख्या-218/2022/800/41-2022-165(बजट)/2019, दिनांक 31 मार्च, 2022 को निरस्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रायोजना की अगली किश्त की मांग करते समय 24 बिन्दुओं की सूचना, टेण्डर लागत एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 24.11.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,00,00,000, (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखाशीर्ष 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक-29 मार्च 2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, चन्दौली ।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 भदोही इकाई वाराणसी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in